




फर्द अहकाम

अमरसिंह

बनाम

अंजू कंवर वगै०

पायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर  
स सं०६१/२०२५

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28.04.2025	<p>अधिवक्ता श्री मदनलाल कुमावत द्वारा वाद बाबत घोषणा आराजीयात, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जोबनेर जयपुर                 </p>	
	23/5/25	<p>पत्रावली पेश हुई। PO. सा. अद्य 23.5.25 को पूर्व आदेश दिनांक 18/5/25 को पेश जाय</p>	
	28-5-25	<p>अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब फारमाने पेश करने पर पत्रावली आज्ञा की पेशी में ही गयी। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वयं भाष्य में पेश किया गया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है, इसलिए पत्रावली विज्ञा करने की अनुमति प्रदान करें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का भवलोक्त किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विज्ञा प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जाता। पत्रावली केसल शुमार होकर नंबर से क्रम होकर दाखिल रहते है।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जोबनेर जयपुर                 </p>	<p>अमर सिंह</p> <p style="text-align: right;">                       अमर सिंह                 </p>